COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 221/2026

Jamui P.S. case no. 41/2026

Kunal Kumar Vs. State of Bihar

22.04.2026 जमुई थाना कांड सं0–41/2026, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)a, 26(i)(ii) से संबंधित है, के अभियुक्त **कुणाल कुमार,** उम्र करीब 21 वर्ष, पिता–सुनील कुमार, निवासी ग्राम–अम्बा, थाना व जिला–जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड के सूचक पु0अ0नि0 अखिलेश कुमार, जो तत्समय थानाध्यक्ष थाना जमुई के फर्दब्यान, के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–30.01.2026 को समय करीब 12:30 बजे सशस्त्र बल के साथ छापामारी, आसूचना संकलन हेतु थाना से प्रस्थान किया जब दल बल के साथ समय 13:50 महिसौड़ी चौक के पास था तो थानाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना मिला कि विवेकानंद कॉलोनी स्थित के0पी0 पब्लिक स्कूल के समीप उमेश साव के मकान में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में किराये पर रह रहा है, जो कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु महिसौड़ी चौक से दल बल के साथ प्रस्थान किया। दल–बल के साथ उमेश साव के घर पहुंचा, जहां मकान मालिक से किराये पर लगाये गये मकान में रह रहे व्यक्तियों एवं कमरे की तलाशी लेने हेतु साक्षी बनने का आग्रह किया किंतु मकान मालिक गवाही के डर से तैयार नहीं हुआ तब साथ आये सिपाही सूरज पासवान एवं कुलदीप चौधरी को साक्षी मानते हुए, कमरे का तलाशी लिया तो कमरा में एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर काफी घबराया हुआ था, का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम कुणाल कुमार पे0 सुनील कुमार निवासी ग्राम अम्बा, थाना व जिला जमुई बताया। कुणाल कुमार के बदन की विधिवत जमा तलाशी लिया तो पहने हुए फुलपैंट के बाये पॉकेट से आई.टेल. कम्पनी का कीपैड मोबाईल जिसमें एयरटेल कंपनी का सीम नं0–9264426368 लगा हुआ जिसका IMEI no. 355871997815522, IMEI no. 355871997815530 बरामद हुआ। कुणाल कुमार के घबराने के बारे में कुछ नहीं बताया, तब कमरे का तलाशी लिया तो कमरे में रखे लोहे के अलमीरा पर कपड़ा से छिपाकर रखा हुए एक लोहे का बना देशी कट्टा बरामद हुआ। देशी कट्टा मापने पर बट की लम्बाई करीब 6 अंगुल, बडी की लम्बाई करीब 5 अंगुल, बैरल की लम्बाई करीब 7 अंगुल कुल लम्बाई करीब 18 अंगुल एवं देशी कट्टा को अनलोड करने पर एक कारतुस जिसके पेंदी पर 8MMKF लिखा हुआ बरामद हुआ। बरामद अवैध हथियार एवं कारतुस के बारे में पूछने पर बताया कि हथियार को चोरी छिपे रखते है, वह इसी हथियार का भय दिखाकर गाड़ी से लूटपाट एवं छीनछोर करते है तथा हथियार के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। बरामद देशी कट्टा एवं मोबाईल को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया। जप्ती सूची पर साथ आये दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा पूर्वक अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया। जब्ती सूची के एक प्रति पकड़ाये अभियुक्त कुणाल कुमार को हस्तगत कराते हुए उपलब्ध कराया एवं गिरफ्तारी किया। प्रदर्श को घटनास्थल पर सील किया गया और देशी कट्टा को मार्क–A कारतुस को मार्क–B एवं मोबाईल को मार्क–C अंकित किया। गिरफ्तार व्यक्ति, जब्त समानों को जब्ती सूची के साथ लाकर आवश्यक कारवाई हेतु श्रीमान् को सुर्पूद किया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त की ओर से ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में

स्वीकार किया है आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से जमुई थाना कांड सं0–385/2025 लंबित है, जिसमें वह जमानत पर है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि कथित रूप से लोडड कट्टा ना तो आवेदक अभियुक्त के पास से बरामद हुआ और ना ही उसके कब्जे बरामद हुआ है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.01.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कथित रूप से आवेदक अभियुक्त के कमरे, जहां वह निवास करता था, से एक देशी कट्टा बरामद हुआ था। मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस ने अनुसंधानपूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार रूपये के दो प्रतिभुओं, जिनमें से एक माता या पिता तथा उनके ना होने पर कोई अन्य नजदीकी रिस्तेदार होगा, से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, **किंतु जमानत का यह बंधपत्र मामले में आरोप गठन के पश्चात स्वीकार किया जाएगा।**

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।